58

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

अपील – 7043 – I – 16

1. हरीशंकर अग्रवाल तनय रामकृपाल अग्रवाल
2. श्रीमन नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल
3. पंकज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल
4. धीरज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल
5. नीरज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल
6. सूरज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल

निवासी ग्राम– खुजराहो तह. राजनगर
जिला– छतरपुर (म0प्र0) ....अपीलार्थीगण

महेन्द्र कुमार अहिरवार आज दि.-05/05/16

विरूद्ध

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र.शासन
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर ....प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 47 क भारतीय स्टाम्प अधिनियम

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 11013/बी–105/14–15 में पारित आदेश दिनांक 18/04/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1.	लिखित की तारीख तथा प्रस्तुतकर्ता का नाम	8/1/14, बृजकिशोर अग्रवाल तनय घमण्डीलाल अग्रवाल निवासी सिमरा
2.	लिखित का दिनांक	8/1/14
3.	निष्पादकों का नाम व पता	• हरीशंकर अग्रवाल तनय रामकृपाल अग्रवाल • श्रीमन नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल • पंकज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल • धीरज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल • नीरज नारायण अग्रवाल तनय हरीशंकर अग्रवाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... अपील.7043–I/16.... **जिला** ... छतरपुर ...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-5-16	1– आवेदक के अधिवक्ता महेन्द्र अहिरवार उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2–मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह अपील न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प छतरपुर के म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 11013/बी–105/2014–15 मे पारित आदेश दिनांक 18/04/2016 के विरूद्व भारतीय स्टाम्प अधिनिमय की धारा 47(क) के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि अपीलार्थीगणों द्वारा दिनांक 18–01–2014 को भूमि खसरा कं. 1735/1/2 रकवा 0.224 हे0 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से ब्रजकिशोर अग्रवाल से क्रय की थी तथा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया था उप–पंजीयक छतरपुर के प्रस्तावित प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा एकपक्षीय तौर विवादित आदेश के तहत कृषि भूमि को नगरीय क्षेत्र की भूमि मान्य करते हुए अत्याधिक शुल्क अधिरोपित किया है जो पूर्णतः गलत है इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। 4– उनका यह भी तर्क है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प छतरपुर द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया है। 5– अनावेदक शासन पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर द्वारा जो स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है वह पूर्णतः विधि–सम्मत है जिस कारण से अपीलार्थीगण की यह अपील इसी स्तर पर ही समाप्त किए जाने का अनुरोध किया। 6– उभयपक्ष अधिवक्तों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रकरण की समस्त आदेश पत्रिकाएँ तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। कलेक्टर ऑफ	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्टाम्प छतरपुर द्वारा दिनांक 28–03–2016 को प्रकरण अपीलार्थीगण को पुनः नोटिस जारी किए जाने हेतु नियत किया गया था तथा उनके द्वारा आगामी नियत दिनांक 15–04–2016 को अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस प्रेषित किए हुए एकपक्षीय किया गया है जो कि अवैद्यानिक है एवं विधिक प्रकिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अपीलार्थीगण द्वारा जो भूमि क्रय की थी वह कृषि भूमि थी तथा उनके द्वारा तत्समय का निर्धारित गाइड लाईन अनुसार शुल्क अदा किया गया था इस कारण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 / 04 / 2016 निरस्त किया जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	